A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

सं० 2।पी०एस०/87-का०--4561

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

22 मई 1987

विषय ---राज्य सरकार के कतिपय स्तर तक के राजपत्रित पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक/समीक्षी एवं स्वीकरण पदाधिकारी का निर्धारण ।

राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु भारतीय सेवायें (गोपनीय पंजियां) नियमावली, 1970 के प्रावधानों के अधीन प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण पदाधिकारी का राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्धारण किया जा चुका हैं । इस संदर्भ में कार्मिक विभाग का संकल्प संख्या 21494, दिनांक 30 नवम्बर 1977, संकल्प संख्या 9587, दिनांक 29 जुलाई 1981, संकल्प संख्या 12813, दिनांक 19 दिसम्बर 1984 एवं संकल्प संख्या 4489, दिनांक 1 अप्रील 1985 संगत है । इसी तरह बिहार प्रशासनिक सेवा के विभिन्न वेतनमानों के क्षेत्र में पदस्थ पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक।समीक्षी एवं स्वीकरण पदाधिकारी का भी सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत कतिपय परिपत्रों से निर्धारण किया गया है । इस संदर्भ में कार्मिक विभाग का परिपत्र संख्या 7444, दिनांक 30 अप्रील 1979 एवं संख्या 7687; दिनांक 16 जून 1981 संगत है ।

2. राज्य सेवाओं के अन्य पदाधिकारी जो सचिवालय में विभिन्न स्तरों पर पदस्थापित हैं की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन की प्रक्रिया और स्तर भी समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित होता आया है । कालान्तर में इनमें कई तरह के परिवर्त्तन हो चुके हैं । फलस्वरूप नाना प्रकार की पद्धतियां विभिन्न विभागों के बीच प्रचलित है । जहां तक सचिवालय और विभागाध्यक्ष के कार्यालय में पदस्थापित अधिकारियों की अभ्युक्तियां अंकित करने का काम है, सरकार यह जरूरी समझती है कि राज्य सेवाओं के अन्य पदाधिकारीगण के बारे में भी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण पदाधिकारी तथा प्रक्रियाओं को स्पष्टत: निर्धारित किया जाय ।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में स्थिति पर भलीभांति विचारोपरान्त सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया है:—

अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों से विलग राज्य सेवाओं के संबंध में गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन निम्नलिखित प्रतिवेदक।समीक्षी।स्वीकरण पदाधिकारी द्वारा किया जायगा ।

1. सचिवालय के विभागों में

पदाधिकारी का स्तर ।	प्रतिवेदक पदाधिकारी ।	समीक्षी पदाधिकारी ।	स्वीकरण पदाधिकारी ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
सचिव	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	मुख्य मंत्री	
विशेष/अपर/संयुक्त सचिव	सचिव	प्रधानसचिव/मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	अभियंता प्रमुख सह-विशेष सचिव, मुख्य अभियंता-सह-अपर सचिव आदि पर भी लागू होगा ।
उप/अवर-सचिव	प्रभारी संयुक्त/अपर/विशेष सचिव ।	सचिव	. . प्रधान सचिव	

2. विभागाध्यक्ष कार्यालयों में

विभागाध्यक्ष	सचिव/प्रधान सचिव	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	
अपर विभागाध्यक्ष अपर निदेशक।संयुक्त निदेशक, जो रु० 1,900––2,500 के वेतनमान और उससे ऊपर हैं ।	विभागाध्यक्ष/सचिव ।	प्रधान सचिव	प्रभारी मंत्री	

3. क्षेत्रीय पदस्थापनों में

क्षेत्रीय पदाधिकारी जिन्हें निर्दिष्ट; स्वतंत्र दायित्वों का प्रभार है तथा रु० 1,900––2,500 के वेतनमान में या उससे ऊपर हैं ।	विभागाध्यक्ष	सचिव।प्रधान सचिव	प्रभारी मंत्री	

4. राज्य सेवाओं के उपर्युक्त स्तर के पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियां उपर्युक्त तालिका के अनुसार वित्तीय वर्ष 1986-87 से अभिलेखित की जायगी। जहां तक वर्ष 1985-86 के लिए अंकित होने वाली अभ्युक्तियां, जो बाकी रह गयी है, का प्रश्न है; उन्हें उक्त वर्ष में निर्धारित।प्रचलित पद्धति। प्रक्रिया के अनुसार सम्पन्न किया जायगा। वर्ष 1986-87 से जो प्रक्रिया ऊपर निर्धारित की गयी है, वह सचिवालय के सभी विभागों तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में लागू होगा। यदि इनके अलावे किसी अन्य स्तर के राजपत्रित पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन का प्रश्न उठे तो प्रशासी विभाग के प्रभारी मंत्री का आदेश प्राप्त कर उचित निर्णय लिया जायगा। विशिष्ट मामलों में जहां समुचित मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, कार्मिक विभाग से परामर्श उपलब्ध किया जा सकता है।

5. सरकार इस बात पर चिन्तित है कि वर्ष 1985-86 की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन कई विभागों में अपूर्ण रह गया है। हर विभागीय सचिव।विभागाध्यक्ष का यह कर्त्तव्य होगा कि वर्ष 1985-86 की अभ्युक्तियां अवश्य ही जून 1987 तक पूर्ण रूप से अभिलेखित करा ली जाय तथा समीक्षी एवं स्वीकरण की पद्धति भी सम्पन्न करा ली जाय। विभागीय सचिवों से विशेष अनुरोध है कि इसे विशेष प्राथमिकता देने का कष्ट करें।

6. जहां तक वर्ष 1986-87 की वार्षिक अभ्युक्तियों का प्रश्न है, गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन 31 अगस्त, 1987 तक पूर्णतः सम्पन्न कराया जाय। जिन मामलों में प्रभारी मंत्रियों को स्वीकरण पदाधिकारी के रूप में अभ्युक्तियां अंकित करनी है, संगत कागजात संबंधित मंत्री के पास अवश्य ही 31 जुलाई, 1987 तक पहुंच जाय। सचिवों से अनुरोध है कि इस बिन्दु को भी वे विशेष प्राथमिकता देने का कष्ट करें।

7. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इन आदेशों की मोनिटरिंग की जायगी। अतः वर्ष 1985-86 की अभ्युक्तियों के संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन संबंधित विभाग कार्मिक विभाग को जुलाई, 1987 के प्रथम सप्ताह तक उपलब्ध करावें। वर्ष 1986-87 के लिए सितम्बर के प्रथम सप्ताह तक कार्मिक विभाग को अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाय। सरकार ने मुख्य सचिव को यह निदेश दिया है कि वे इन आदेशों के अनुपालन की समीक्षा समय पर करें और मुख्य मंत्री को समय पर वस्तुस्थिति से अवगत करावें।

8. राज्य सरकारी सेवा में पदस्थापित राजपत्रित पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग एवं संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प।परिपत्र।अनुदेश तथा आदेश यथा-उपर्युक्त संशोधित समझा जाय।

आदेश--आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से;
आर० श्रीनिवासन,
सरकार के मुख्य सचिव।

वि० स० मु० (सप्लीमेंट गजट।ए) 12--2,000--24-6-1987--कि० पंडित